क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 3180/0 A No 412/18/19 दिनांक 29-8-19

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.co

Sub: Compliance report in order passed on 17.05.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest & Ors.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of order issued on 17.05.2019 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest & Ors, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely,

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle – 1), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information

Regional Officer

Compliance report in order passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest & Ors.

Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest & Ors has passed the following order on 17.05.2019:-

"............... 6. The Committee constituted by this Tribunal may assess the compensation for the damage to the environment and furnish a further report before the next date by e-mail at ngt.filing@gmail.com.

7. The UPPCB may take further preventive and remedial action for enforcement of the provisions of Water Act and Air Act and 3 furnish a further report before the next date by e-mail at ngt.filing@gmail.com........................."

In reference to the above, the members of the committee constituted by Hon'ble Tribunal vide order dated 24.01.2019, held a meeting on 14.08.2019. During meeting, the damage to the environment caused by M/s B.S Farm House, Khasra No 75, Village Bonjha, Ghaziabad, M/s V.J. Nursery House, Khasra no 468, 469, 471 Village Ghukna, Ghaziabad and M/s Prem Farm House, Khasra No. 322, Village Ghukna, Ghaziabad was assessed.

On basis of the recommendation of the Committee, UPPCB has imposed environmental compensation on afore mentioned farm houses (**Annexure I**), details of same are as below:

S. No.	Unit/Farm House Name and Address	Environmental Compensation Recommended. (In Rs.)
1	M/s B.S Farm House, Khasra No 75, Village Bonjha, Ghaziabad	Rs 7,50,000/-
2	M/s V.J. Nursery House, Khasra No 468, 469, 471, Village Ghukna, Ghaziabad.	Rs 5,00,000/-
3	M/s Prem House House, Khasra No 322, Village Ghukna, Ghaziabad.	Rs 5,00,000/-

Report of Committee is annexed as **Annexure II.**

The tube wells used for abstracting ground water have been sealed and the farm houses are not in operation.

UPPCB has also issued Show Cause Notices under Section 33(a) of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 against the defaulting farm houses, details of same are part of Annexure I.

(Anshul Sharma)
Junior Engineer

(Ankit Singh)
Assistant Environment Engineer

Regional Officer

ANNEXURE-2

Environmental Compensation Assessment report in compliance to order passed by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest &Ors.

Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No 412/2018 Shri Om Tyagi Versus Ministry of Environment & Forest &Orshas passed the following order on 17.05.2019:-

"............. 6. The Committee constituted by this Tribunal may assess the compensation for the damage to the environment and furnish a further report before the next date by e-mail at ngt.filing@gmail.com.

7. The UPPCB may take further preventive and remedial action for enforcement of the provisions of Water Act and Air Act and 3 furnish a further report before the next date by e-mail at ngt.filing@gmail.com........................"

In reference to the above, the members of the committee constituted by Hon'ble Tribunal vide order dated 24.01.2019, held a meeting on 14.08.2019. During meeting, the damage to the environment caused by M/s B.S Farm House, Khasra No 75, Village Bonjha, Ghaziabad, M/s V.J. Nursery House, Khasra no 468, 469, 471 Village Ghukna, Ghaziabad and M/s Prem Farm House, Khasra No. 322, Village Ghukna, Ghaziabad was assessed. Environmental Compensation Assessment report as per the guidelines issued by CPCB vide letter dated 08.02.2019 for calculation of Environmental Compensation is as below :-

As per the guidelines, the environmental compensation can be calculated as below :-

EC=PIxNxRxSxLF

All the three farm houses in question generate domestic sewage, have installed DG sets but do not generate any hazardous waste.

As per guidelines, any industrial sector having air pollution (A) and Water Pollution (W) both but no hazardous waste generation (H), the joint score of air and water pollution will be normalized to 100, as per the following formula :-

Normalized Score = {100x(W+A)}/80

All the three farmhouses generate sewage approximately less than 10 KLD. Hence, **W = 12**

All three farmhouses have D G sets as source of air pollution. Hence, **A = 10**

Thus, **Normalized score for each of the three farm houses = {100x (12+10)}/80 = 27.5**

R= R is a factor in Rupees for penalty – As per guideline, R factor can be taken as average. Hence, **R=250 for each of the three farm houses**

S= Factor for scale of operation – As the unit falls under small category, henceS= **0.5 for each of the three farm houses.**

LF= Location Factor – all the three farm houses are within 10 KM of the area of Ghaziabad Development Authority, the population is between 10 lacs to 50 lacs, hence **LF=1.25 for each of the three farm houses**

Calculating environmental compensation for one day;

EC=PIxNxRxSxLF = 27.5x1x250x0.5x 1.25 = 4296.875

As per CPCB guidelines for assessment of Environmental Compensation, in any case minimum penalty has to be Rs.5000/- per day. Thus, environmental compensation of Rs. 5000/- is proposed for each day of violation in this case as environmental compensation as per calculation is less than Rs. 5,000/-.

Calculation of N – No. of days of violation took place.

All the three farm houses have not obtained consent to establish or consent to operate from UPPCB. During previous inspection of the joint committee, information from local people residing in the area was obtained regarding operation of farm houses. Information and environmental compensation proposed on basis of same is as below:

i) As per local input, **M/s B.S Farm House, Khasra No 75, Village Bonjha, Ghaziabad** has been operational for around 5 years and around25-30 functions are held in the farm house in an year.

Accordingly, number of days of violation may be taken as 30 per year and on basis of same, value of 'N' for five years may be taken as (30 x 5) which comes to be 150 for purpose of calculation of Environmental Compensation.

Thus, EC = 5000x 150 = Rs 7,50,000/- (Rupees Seven Lakhs and Fifty Thousand Only)

ii) As per local input, **M/s V.J. Nursery House, Khasra No 468, 469, 471, Village Ghukna, Ghaziabad** has been operational for around 3 years and approximately 15-20 functions are held in the farm house in a year.

Accordingly, number of days of violation may be taken as 20 per year and on basis of same, value of 'N' for five years may be taken as 20 x 5 which comes to be 100 for purpose of calculation of Environmental Compensation.

Thus, EC = 5000x 100 = Rs 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs Only)

iii) As per local input, **M/s Prem House House, Khasra No 322, Village Ghukna, Ghaziabad** has been operational for around 3 years and approximately 15-20 functions are held in the farm house in an year.

Accordingly, number of days of violation may be taken as 20 per year and on basis of same, value of 'N' for five years may be taken as 20 x 5 which comes to be 100 for purpose of calculation of Environmental Compensation.

Thus, EC = 5000x 100 = Rs 5,00,000/- (Rupees Five Lakhs Only)

On basis of above, environmental compensation may be imposed as per table below:

Sl. No.	**Unit/Farm House Name and Address**	**Environmental Compensation Recommended. (In Rs.)**
1	M/s B.S Farm House, Khasra No 75, Village Bonjha, Ghaziabad	Rs 7,50,000/-
2	M/s V.J. Nursery House, Khasra No 468, 469, 471, Village Ghukna, Ghaziabad.	Rs 5,00,000/-
3	M/s Prem House House, Khasra No 322, Village Ghukna, Ghaziabad.	Rs 5,00,000/-

(Ankit Singh)
A.E.E.
UPPCB, Ghaziabad

(Utsav Sharma)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad

(Rajesh Debroy)
Additional Director
CPCB, New Delhi

ANNEXURE-1

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 440608 / सी–1 / सा0–418 / का0ब0नो0 / 2019 दिनांक 22-8-19

मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस,
खसरा नम्बर–468, 469, 471,
ग्राम–घूकना,
गाजियाबाद।

यह कि मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस, खसरा नम्बर–468, 469, 471, ग्राम–घूकना, गाजियाबाद एक मैरिज कम फार्म हाऊस है, जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0संख्या–412 / 2018 श्री ओम त्यागी बनाम वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक–24.01.2019 के अनुपालन में फार्म हाऊस का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा दिनॉक–22.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फार्म हाऊस की स्थापना हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नही करवाया गया है। फार्म हाऊस में स्थापित 15 केवीए के एक डीजी सैट पर एकास्टिक इनक्लोजर स्थापित नही किया गया है तथा एग्जास्ट की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। घरेलू ठोस अपशिष्ट के हथालन, भण्डारण एवम निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नही है। भू–गर्भीय जल के दोहन हेतु स्थापित बोरवेल के प्रयोग हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान इकाई में स्थापित बोरवेल को समिति द्वारा सील किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं किया गया है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लघन है।

तत्कम मे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक–17.05.2019 के अनुपालन मे गठित समिति द्वारा रूपया–5,00,000 / –(रूपया पॉच लाख) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यत उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में परिवेशीय पर्यावरणीय सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह व उत्सर्जन के निस्तारण से आस–पास के पर्यावरण की प्राकृतिक जल गुणता एवं जन साधारण के स्वास्थ्य पर डाले जा रहे प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम समिति की सस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशो के अनुपालन मे सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस, खसरा नम्बर–468, 469, 471, ग्राम–घूकना, गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप मे रूपया–5,00,000/–(रूपया पाँच लाख मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आईएफसी कोड–UBIN 0570150 मे 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस, खसरा नम्बर–468, 469, 471, ग्राम–घूकना, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1- यह कि क्यों न मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस, खसरा नम्बर–468, 469, 471, ग्राम–घूकना, गाजियाबाद के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2- यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे मै0 वी0जे0नर्सरी हाऊस, खसरा नम्बर–468, 469, 471, ग्राम–घूकना, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते मे जमा न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

(ए० के० तिवारी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित:–

1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2 क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 1140bd / सी–1 / सा0–417 / का0ब0नो0 / 2019 पंजीकृत दिनांक 28-8-19

मै0 बी0एस0फार्म हाऊस,
खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा,
गाजियाबाद।

यह कि मै0 बी0एस0फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा, गाजियाबाद एक मैरिज कम फार्म हाऊस है, जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ0ए0सख्या–412 / 2018 श्री ओम त्यागी बनाम वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक–24.01.2019 के अनुपालन मे फार्म हाऊस का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियो की संयुक्त समिति द्वारा दिनॉक–22.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फार्म हाऊस की स्थापना हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नही करवाया गया है। फार्म हाऊस में स्थापित 62.5 तथा 63 केवीए के दो डीजी सैट पर एकास्टिक इनक्लोजर के स्थापित नही किया गया है तथा एग्जास्ट की ऊँचाई मानको के अनुरूप नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त एक अन्य डी0जी0 सैट 7.5 केवीए के एक डी0जी0सैट बिना एकास्टिक इनक्लोजर स्थापित पाया गया जिस पर एग्जास्ट की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नही है। घरेलू ठोस अपशिष्ट के हथालन, भण्डारण एवम् निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नही है। भू–गर्भीय जल के दोहन हेतु स्थापित बोरवेल के प्रयोग हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान इकाई मे स्थापित बोरवेल को समिति द्वारा सील किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं किया गया है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लघन है।

तत्क्रम मे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक–17.05.2019 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा रूपया–7,50,000 / –(रूपया सात लाख पचास हजार) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यत: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों मे परिवेशीय पर्यावरणीय सुरक्षा एव जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह व उत्सर्जन के निस्तारण से आस–पास के पर्यावरण की प्राकृतिक जल गुणता एव जन साधारण के स्वास्थ्य पर डाले जा रहे प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् समिति की संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 बी0एस0फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा, गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप में रूपया–7,50,000/–(रूपया सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सख्या–701502010002104 आईएफसी कोड–UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 बी0एस0फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1- यह कि क्यो न मै0 बी0एस0फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा, गाजियाबाद के सचालन को बन्द कर दिया जाये?
2- यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे मै0 बी0एस0फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–75, ग्राम–बोनझा, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओ सहित अन्य समस्त सुविधाओ को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

(ए० के० तिवारी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2 क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H 40667 / सी–1 / सा0–419 / का0ब0नो0 / 2019

पंजीकृत
दिनॉक 28-8-19

मै0 प्रेम फार्म हाऊस,
खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना,
गाजियाबाद

यह कि मै0 प्रेम फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना, गाजियाबाद एक मैरिज कम फार्म हाऊस है, जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0सख्या–412 / 2018 श्री ओम त्यागी बनाम वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक–24.01.2019 के अनुपालन में फार्म हाऊस का निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों की संयुक्त समिति द्वारा दिनॉक–22.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फार्म हाऊस की स्थापना हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नही करवाया गया है। फार्म हाऊस में स्थापित 62 केवीए के एक डीजी सैट पर एकास्टिक इनक्लोजर स्थापित नहीं किया गया है तथा एग्जास्ट की ऊँचाई मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। घरेलू ठास अपशिष्ट के हथालन, भण्डारण एवम् निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। घरेलू उत्प्रवाह निस्तारण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं है। इकाई मे भू–गर्भीय के दोहन हेतु स्थापित बोरवेल के प्रयोग हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त नही है। भू–गर्भीय के दोहन हेतु स्थापित बोरवेल के प्रयोग हेतु सी0जी0डब्लू0ए0 से अनुमति प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के दौरान इकाई में स्थापित बोरवेल को समिति द्वारा सील किया गया है। इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति जल / वायु प्राप्त नहीं किया गया है जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है।

तत्कम मे मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनॉक–17.05.2019 के अनुपालन मे गठित समिति द्वारा रूपया–5,00,000 / –(रूपया पॉच लाख) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में परिवेशीय पर्यावरणीय सुरक्षा एव जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य बोर्ड को यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह व उत्सर्जन के निस्तारण से आस–पास के पर्यावरण की प्राकृतिक जल गुणता एव जन साधारण के स्वास्थ्य पर डाले जा रहे प्रतिकूल प्रभाव को तत्काल रोका जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद की आख्या एवम् समिति की संस्तुति तथा मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के अनुपालन में सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 प्रेम फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना, गाजियाबाद के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के रूप में रूपया–5,00,000/–(रूपया पाँच लाख मात्र) की धनराशि अधिरोपित की जाती है तथा इकाई को निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आईएफसी कोड–UBIN 0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुए साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन मै0 प्रेम फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1- यह कि क्यों न मै0 प्रेम फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना, गाजियाबाद के सचालन को बन्द कर दिया जाये?
2- यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे मै0 प्रेम फार्म हाऊस, खसरा नम्बर–322, ग्राम–धूकना, गाजियाबाद को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

(ए० के० तिवारी)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2 क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1